संख्या-139/2024/625/22-2-2023-17(452)/2022

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 19 सितम्बर, 2024*

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ऋषि तलवार पुत्र श्री कुलदीप तलवार उर्फ दीपक तलवार, निवासी जनपद-झॉसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-15-11-2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ऋषि तलवार पुत्र श्री कुलदीप तलवार उर्फ दीपक तलवार, निवासी-ग्राम-सर्वनगर कालोनी जार पहाड सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड, थाना-सीपरी बाजार, जनपद-झॉसी है। बन्दी द्वारा दिनांक 28.04.2014 को अपनी पत्नी श्वेता को गोली से मारकर हत्या कारित की गयी। इस प्रकार के अपराध से समाज में गलत संन्देश जाता है एवं भारतीय समाज के परिवार की अवधारणा को विखण्डित करता है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-238/2014, 239/2014 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 27 आर्म्स एक्ट में मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0), कोर्ट सं0-02, झांसी के आदेश दिनांक 11.10.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी (उम्र 43 वर्ष 06 माह 10 दिन) द्वारा दिनांक 30.03.2022 तक 07 वर्ष 10 माह की अपरिहार तथा 08 वर्ष 11 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी झॉसी की रिपोर्ट, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झॉसी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, बन्दी को यदि पुन: छोडा जाता है तो वह पुन: अपराध कर सकता है एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा बन्दी के समयपूर्व रिहाई के उपर्युक्त नही हाने के कारण समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। इसी प्रकार जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाला अपराध है एवं सिद्धदोष बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त प्रतीत नही होता है साथ ही समयपूर्व रिहाई से समाज में गलत सन्देश जायेगा एवं बन्दी के पारिवार की समाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही है। इस प्रकार समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत दयायाचिका समिति द्वारा सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ऋषि तलवार (बन्दी संख्या-17412) पुत्र श्री कुलदीप तलवार उर्फ दीपक तलवार, निवासी जनपद-झॉसी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या.-139/2024/625(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।